TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY PART-II SECTION 3, SUB-SECTION (ii) DATED THE 26TH NOVEMBER, 1999

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)
****

New Delhi, dated the 26th November, 1999

NOTIFICATION

S.O. (E).- In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government on the recommendations of the National Committee hereby enhance the cost for meeting running expenses to the tune of Rs.6.00 lakhs per annum and amends the notification of Government of India, Ministry of Finance (Department of Revenue) number S.O. 193(E) dated the 14th March, 1996 as follows, namely:-

In the said notification, in the Table against serial number 14 relating to Indian Medical Centre, Madras (Chennai), in column (4) relating to project or scheme and estimated cost thereof, for the words and figures "Rs.150.78 lakhs", the words and figures "Rs.162.78 lakhs" shall be substituted.

This notification shall remain in force for a further period of two years beginning with assessment year 2000-2001.

(POMELA B. PRASAD)
Director(NC)

No. 11138

F.No. NC-93/99

भारत के राजपत्र असाधारण भाग-II, खण्ड-3 उपखण्ड(ii) में
दिनांक 26 नवम्बर, 1999 को प्रकाशनार्थ

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 26 नवम्बर, 1999

अधिसूचना

सा0 आ0 (अ) आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा राष्ट्रीय समिति की सिफारिशों पर 6.00 लाख रु0 प्रति वर्ष तक के संचालन व्यय को वहन करने की लागत को बढ़ाती है एवं भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की दिनांक 14 मार्च, 1996 की अधिसूचना सं0 सा0 आ0 193 (अ) को इस प्रकार संशोधित करती है:-

उक्त अधिसूचना में इन्डियन मेडिकल सेन्टर, मद्रास (चेन्नई) से संबंधित क्रम सं0 14 के प्रति तालिका में परियोजना अथवा स्कीम और उसकी अनुमानित लागत से संबंधित कालम (4) में "150.78 लाख रु0" शब्दों और आंकड़ों के स्थान पर "162.78" लाख रु0" शब्द और आंकड़ें प्रतिस्थापित किए जाएं।

यह अधिसूचना कर निर्धारण वर्ष 2000-2001 से आरम्भ होने वाले कर निर्धारण वर्ष से दो वर्ष की आगे की अवधि के लिए लागू रहेगी।

(पोमेला बी0 प्रसाद)
निदेशक (RTCHTO)

सं0 11138

फा0 सं0 RTCम0-93/99